

प्रेषक,

बृजेन्द्र सिंह,

अनु सचिव,

उ० प्र० शासना

सेवा में,

निदेशक,

स्थानीय निकाय निदेशालय,

उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 18 फरवरी 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नागर निकायों को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश की छोटी नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सैप्टेज मैनेजमेंट, सड़क, साइड पटरी, नाली, जल निकासी, फुटपाथ, सोलर लाइट/एलईडी लाइट, सार्वजनिक शौचालयों, तालाब संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण, चौराहों का निर्माण, पार्क/खेल मैदान का निर्माण/सुधार, सामुदायिक केन्द्र, गौशाला का निर्माण आदि सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पं० दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017-टीसी दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा निर्गत किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या-47/9-8-2019-53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना में प्रावधानित धनराशि से, संलग्न सूची में अंकित कार्य विवरण के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 07 नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के सापेक्ष धनराशि रूपये 1398.26 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रूपये 699.13 लाख (रूपये छः करोड़ नित्यानवे लाख तेरह हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त धनराशि शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017-टीसी दिनांक 21 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या-47/9-8-2019-53ज/2017 दिनांक 05.01.2019 में पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देशों के अधीन स्वीकृत की जा रही है।
- (2) वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के अनुसार प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने पर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात आगामी वित्तीय वर्ष में अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- (3) यदि निकायों के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया में कोई विलम्ब होता है तो इसके लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना कर, जिसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था है, को सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी से जमा कराया जाएगा।

- (4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/9-5-2012-111 बजट/2010 दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00 लाख तक के ड्रेनेज सम्बन्धी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज सम्बन्धित कार्य सी.एण्ड. डी.एस., उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।
  - (5) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/स्थानीय निकाय निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।
  - (6) नागर निकाय द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सड़कों का निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120 बजट/2013 दिनांक 07.6.2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (7) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार, अवर अभियंता, अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के अध्यक्ष, चयनित आर्किटेक्ट/टाउन प्लानर तथा प्रभारी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।
  - (8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यों की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तों में किया जायेगा।
  - (9) स्वीकृत कार्यों को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है, तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यों की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।
  - (10) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
  - (11) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यों से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
  - (12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।
  - (13) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।
  - (14) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (15) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की चेंकिंग कराकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार कार्यालय को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाले

गये नोडल खाते के माध्यम से सम्बन्धित नागर निकायों द्वारा पं० दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर धनराशि अन्तरित की जाय।

4. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत "लेखा शीर्षक 2217-शहरी विकास; 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-05-पं० दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाली जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्मित किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(बृजेन्द्र सिंह)  
अनु सचिव।

संख्या-5880/9-8-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी/ मा० राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
6. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया योजनान्तर्गत धनराशि निकाय के खाते में निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा हस्तान्तरित किये जाने के लिये योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते का पूर्ण विवरण/कैंसिल्ड चेक के साथ तीन दिन के अन्दर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,  
(बृजेन्द्र सिंह)  
अनुसचिव।


५

संख्या-589/9-8-2019-53ज/2017टीसी दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	एटा	न०प०, निधौलीकला	1 मो० माहोरान शिवदयाल से सामुदायिक केन्द्र तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	5.94		
			2 मो० गगनपुरी रामप्रकाश के मकान से सुखराम सिंह तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1.02		
			3 मो० गगनपुरी महाराज जी महीपाल तक एवं ब्रांच गली इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1.60		
			4 मो० सादपुरा रामबाबू से दरवारी लाल तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	5.92		
			5 मो० गगनपुरी हरप्रसाद के मकान से रोहन सिंह तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2.66		
			6 मो० शेरवान आंशिक वकील के मकान से सैयद बाबा की दरगाह गेट तक इण्टर लाकिंग नाली निर्माण कार्य।	9.61		
			7 मो० शेरवान आंशिक सलीम के मकान से सैयद के मकान से उम्मेद हसन तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	1.40		
			8 मो० सादपुरा पप्पू बाल्मीक से पुत्तन खों तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	7.77		
			9 मो० सादपुरा बगीची से शेर सिंह तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	21.10		
			10 मो० झन्ती शिव सिंह से कैलाश के मन्दिर तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	18.30		
			11 मो० कछियान सोनपाल से राजवीर तक एवं ब्रांच गली इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	3.39		
			12 मो० बड़ा बाजार गंगा सिंह से माता देवी मन्दिर तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	3.98		
			13 मो० सादपुरा रहीस से फेज-ए-आम इण्टर कालेज तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	4.52		
			14 मो० शेरवान आंशिक फुरकान से नूर आलम तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	6.82		
			15 मो० शेरवान आंशिक गरीबा से डेजी भाई की बाउण्ट्री तक इण्टर लाकिंग निर्माण कार्य।	4.27		
			16 कार्यालय परिसर में इण्टर लाकिंग कार्य।	4.61		
			17 मो० शेरवान अफसर से गरिजद तक इण्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	4.40		
			18 मो० शेरवान आंशिक हनीफ हाजी से फारुख एवं वखल वाले गेट से चौक तक इण्टर लाकिंग नाली निर्माण कार्य।	3.32		

8

		19 मो0 बड़ा बाजार संतोष गुप्ता से नीरज गुप्ता की दुकान तक व शिवराज किशोर से अशुमान गुप्ता एवं पास गली इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	15.86		
		20 नगर पंचायत में पानी की टंकी का सौन्दर्यीकरण का कार्य।	24.28		
		21 नगर पंचायत, निधौली कलॉ में कम्प्यूनिटी सेन्टर का निर्माण कार्य।	21.34		
		22 पार्क का निर्माण कार्य नगर पंचायत निधौली कलॉ।	26.15		
योग-			<b>198.26</b>	198.26	99.13

  
**(बृजेन्द्र सिंह)**  
 अनु सचिव।

W


संख्या- 589 / 9-8-2019-53ज/2017टीसी दिनांक 19 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
2	बरेली	न०प०, फरीदपुर	1 निर्माण कार्य नाला, विरेन्द्र के मकान से तालाब की पुलिया तक वार्ड नं०-2	4.99		
			2 निर्माण कार्य इण्टरलाकिंग ब्रिक्स बाबू के मकान से इशहाक के मकान तक वार्ड नं०-7	12.28		
			3 निर्माण कार्य इण्टरलाकिंग ब्रिक्स नूर अहमद की दुकान से कब्रिस्तान तक वार्ड नं०-1	27.54		
			4 निर्माण कार्य इण्टरलाकिंग ब्रिक्स पी० डब्ल्यू०डी० रोड से मजार तक वार्ड नं०-5	14.67		
			5 निर्माण कार्य नाला रामलीला की पुलिया से इस्खार के खेत तक वार्ड नं०-2	4.99		
			6 निर्माण कार्य इण्टरलाकिंग ब्रिक्स अलीम के मकान से जाबिर के मकान तक वार्ड नं०-4	3.94		
			7 निर्माण कार्य इण्टरलाकिंग ब्रिक्स अलीम के मकान से अहमद नबी खों के मकान तक वार्ड नं०-4	7.38		
			8 निर्माण कार्य नाला धर्मपाल के खेत से उमर के खेत तक वार्ड नं०-2	4.95		
			9 निर्माण कार्य नाला उमर के खेत से ऐजाज के खेत तक वार्ड नं०-2	4.99		
			10 निर्माण कार्य इण्टरलाकिंग ब्रिक्स रूप पाल के मकान से हरप्रसाद के मकान तक वार्ड नं०-2	9.41		
			11 निर्माण कार्य नाला ऐजाज के खेत से पुलिया तक वार्ड नं०-2	4.98		
			12 निर्माण कार्य इण्टरलाकिंग ब्रिक्स शाहिद व इस्खार के मकान से नन्हे लाल तक वार्ड नं०-1	8.04		
			13 निर्माण कार्य इण्टरलाकिंग ब्रिक्स हेत राम से वीरेन्द्र के मकान तक व खेमकरन के मकान तक वार्ड नं०-2	9.70		
			14 निर्माण कार्य नाला मजार से अनोखे के खेत तक वार्ड नं०-5	4.79		
			15 प्रकाश व्यवस्था हेतु एल०ई०डी० स्ट्रीट लाइट 75-90 (250) नग।	22.12		
			16 प्रकाश व्यवस्था हेतु एल०ई०डी० हाई मारट पोल 12.50 मीटर (04) नग।	20.36		
			17 प्रकाश व्यवस्था हेतु एल०ई०डी० स्ट्रीट लाइट पोल (50) नग।	36.33		
			योग--	201.46	200.00	100.00

(बृजेन्द्र सिंह)  
अनु. सचिव।

संख्या- 589/9-8-2019-53ज/2017टीसी दिनांक 19 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
3	हमीरपुर	न०प०, गोहाण्ड	1 नगर पंचायत गोहाण्ड में पावर हाउस की पुलिया से नहर कोठी की ओर तक इण्टर लाकिंग का निर्माण कार्य।	29.12		
			2 नगर पंचायत गोहाण्ड में हरनाम से कल्लू पाल के मकान तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	32.15		
			3 नगर पंचायत गोहाण्ड में अमरचन्द्र के मकान से पानी की टंकी तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	28.61		
			4 नगर पंचायत गोहाण्ड में महेश के मकान से नौराबरी तक इण्टर लाकिंग का निर्माण कार्य।	32.81		
			5 नगर पंचायत गोहाण्ड में गाँधी इण्टर कालेज से नौरा बरी तक, राठ कालपी मार्ग के दोनों तरफ इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	36.40		
			6 नगर पंचायत गोहाण्ड में दंगल मैदान से बांशतशाला तक नाला निर्माण कार्य।	21.80		
			7 नगर पंचायत गोहाण्ड में शमशान घाट से पावर हाउस तक नाला निर्माण कार्य।	28.86		
			योग-	209.75	200.00	100.00

  
 (बृजेन्द्र सिंह)  
 अनु सचिव।

संख्या-589/9-8-2019-53ज/2017टीसी दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
4	सिद्धार्थनगर	न०प०, शोहरतमढ़	1 बुधई स्मारक से लेकर गोलघर तक एवं प्रेम गली से किशोरी लाल के घर तक जेब्रा इण्टरलाकिंग व सौन्दर्यीकरण का कार्य।	172.28		
			2 मेन रोड से कार्यालय होते हुये राजस्थान अतिथि भवन के सामने जेब्रा इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण का कार्य।	39.82		
योग-				212.10	200.00	100.00




(बृजेन्द्र सिंह)  
अनु सचिव।




संख्या-589 / 9-8-2019-53ज/2017टीसी दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
5	हापुड	न०प०, बाबूगढ़	1 पार्क का निर्माण कार्य।	63.53		
			2 सामुदायिक कार्य का निर्माण कार्य	89.88		
			3 पथ और पुस्तकालय का निर्माण कार्य।	44.81		
			यात्री शेड	6.40		
			योग-	204.62	200.00	100.00

  
 (बृजेन्द्र सिंह)  
 अनु सचिव।

संख्या-589/9-8-2019-53ज/2017टीसी दिनांक 19 फरवरी, 2019 का संलग्नक।


क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
6	कौशाम्बी	न०प०, चागल	1 मनौरी सराय अकिल मार्ग के पटरी के दोनों किनारों पर कवर्ड नाला का निर्माण कार्य।	100.06		
			2 मनौरी सराय अकिल रोड के दोनों तरफ पटरी पर 1.5 मी० की चौड़ाई में इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	50.09		
			3 मनौरी सराय अकिल रोड पर एल०ई०डी० स्ट्रीट लाइट की अवस्थापना का कार्य।	61.59		
योग-				211.74	200.00	100.00

  
**(बृजेन्द्र सिंह)**  
 अनु सचिव।

w

संख्या-589/9-8-2019-53ज/2017टीसी दिनांक 18 फरवरी, 2019 का संलग्नक।

क्र० सं०	जनपद	निकाय का नाम	कार्य/मद	प्रस्तावित लागत (रूपये लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (रूपये लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
7	कन्नौज	न०प०, सिकन्दरपुर	1 मो० शारत्री नगर में वेद प्रकाश तिवारी के प्लाट से रामलीला ग्राउण्ड तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य।	41.70		
			2 मो० सुभाष नगर में नगर पंचायत कार्यालय का निर्माण कार्य।	50.71		
			3 मो० अम्बेडकर नगर चन्द्रपुर रोड से योगेन्द्र भदौरिया के विद्यालय तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	12.89		
			4 मो० इन्दिरा नगर में कमलेश कुमारी मार्ग पर नाले की पुलिया से जी०टी० रोड तक सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	8.58		
			5 मो० गांधीनगर में सहदेव के मकान से वीरू वर्मा के बहनोई के मकान तक सी०सी० रोड व नाली का निर्माण कार्य।	8.15		
			6 मो० अम्बेडकर नगर में चन्द्रपुर रोड पर सन्दीप के मकान से नव ज्योति महाविद्यालय की पुलिया तक नाला का निर्माण कार्य।	13.63		
			7 मो० सुभाष नगर में सुरेश चन्द्र के प्लाट से दीन बन्धु के प्लाट तक नाला निर्माण कार्य।	9.89		
			8 मो० सुभाष नगर में दीन बन्धु के प्लाट से देवीसहाय (देवेश चन्द्र) के प्लाट तक नाला निर्माण कार्य।	9.89		
			9 नगर सीमा के अन्तर्गत मुख्य-मुख्य स्थानों पर 04 नग हाईमास्ट एल०ई०डी० लाइट आटो स्टेब्लाइजर सहित लगाये जाने का कार्य।	13.03		
			10 एक नगर मोबाइल हाईमास्ट ऊंचाई 09 मीटर 03 सेक्शन चार टायर पर 750-16 की आपूर्ति का कार्य।	11.33		
			11 100 नग 50 वाट एल०ई०डी० लाइट क्रय किया जाना।	7.25		
			01 नग एम्बुलेन्स 20 सीटर कम्पलीट।	16.68		
			योग--	203.73	200.00	100.00

  
**(बृजेन्द्र सिंह)**  
 अनु सचिव।

w